न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)

प्र. सं. 124/11

दावा

बउनवान

भरत कुमार गुप्ता पुत्र बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी खाती कॉलोनी, बारां

वादी

बनाम

1. माणकचन्द पुत्र बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड बारां
2. श्रीमति पद्मा पत्नि श्री भवानीशंकर पुत्री बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी म.न. 2–ई–9 तलवंडी कोटा
3. श्रीमति रतना पत्नि श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्री बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी c/o नेनूलाल नानकराम किराने की दुकान, सदर बाजार, गुना केन्ट (मध्यप्रदेश)
4. श्रीमति मंजुला पत्नि श्री उमाशंकर पुत्री बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी म. नं. 5–ए–16 बसन्त विहार महावीर नगर विस्तार योजना कोटा (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92,53,188RTA

उपस्थितः— 1 श्री हरिओम चर्तुवेदी एड0 वादी
2 श्री सुमित मीणा एड0 प्रति0

निर्णय दिनांक :—04.03.2021

वादी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वाकेमाल तुलसां के खाता संख्या 203 की किता तीन रकबा 5.54 हे0 वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के नाम संयुक्त खाते की है जिसका 2/3 हिस्सा आराजी का सिविल न्यायालय ए. डी.जे. बारां द्वारा सिविल वाद क्र0 53/2009 में पारित डिक्री दिनांक 6/4/17 की पालना में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/5/2017 से बचान् ... से मात्र 3/5 आराजी वाद की

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned by CamScanner

विषयवस्तु है। तथा ग्राम तुलसा के खाता संख्या 204 की किता 3 रकबा 1.11 है0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी कम 1ता 4 के नाम संयुक्त खातेदारी में समभाग में दर्ज है। उक्त आराजी विवादित है। इनके अतिरिक्त माल आमापुरा के खाता संख्या 87 की ख0नं0 176 रकबा 1.40 है0 मृतक खातेदार बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल द्वारा निष्पादित वसीयत नामा दिनांक 19/01/2003 के आधार पर फौती नामांतरण संख्या 533 दिनांक 23/09/2011 से वादी के नाम दर्ज हो गई है। बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल की मृत्यु दिनांक 17/03/2004 को व श्रीमति शान्तिबाई (पत्नि बृजमोहन) की मृत्यु दिनांक 21/09/2003 को हो गई है। मृतक बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल की मृत्यु होने से मृतक का फौती नामांतरण वसीयत नामा दिनांक 19/01/2003 के आधार पर वसीयती उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक होना था। ग्राम पंचायत तुलसां ने बिना सूचना एवं तहकीकात के वसीयतनामा दिनांक 19/01/2003 को अनदेखा कर मृतक के विधिक वारिसों के पक्ष में फौती नामांतरण संख्या 441 दिनांक 20/05/2006 तस्दीक किया जो शून्य, अवैध एवं वसीयतनामा के विरूद्ध अमान्य होने से निरस्तनीय है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 मृतक बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल के वसीयती उतराधिकारी होने से वाके ग्राम तुलसा के खाता संख्या 203 व 204 की विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 2 ता 4 के दर्ज नाम को दाखिल खारिज करवाकर विवादित आराजी के एकमात्र खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। साथ ही वादी विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपना खाता राजस्व रिकॉर्ड में पृथक दर्ज करवाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

वाद पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ने इकबालिया जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किये जाने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी कम 2 ता 4 की ओर से जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम इस आशय का पेश हुआ कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल के खाते की वादपत्र में अंकित आराजी पैतृक आराजीयात है। प्रति0 कम 2ता4 मृतक बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल की वैध पुत्रियां है एवं रिकार्डेड उतराधिकारी है इस कारण समस्त आराजीयात में से अपना हिस्सा 1/5–1/5 प्राप्त करने की अधिकारणी है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं मृतक पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात सयुंक्त रूप से प्रतिवादी कम 1ता4 काबिज बने हुए है। एक फर्जी वसीयतनामा दिनांक 19/01/2003 के आधार पर ग्राम आमापुरा के आराजी मिलीभगत कर वादी ने दर्ज करा ली जबकि यह संयुक्त खाते की आराजी थी एवं हमारा हिस्सा हडपना चाहता है। वादी किसी तरह की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद खारिज फरमावे।

वादी की ओर से जवाब प्रतिदा[illegible]य का पेश हुआ कि बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल ने अपनी स्वअर्जित [illegible] वसीयतनामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

19/01/2003 को निष्पादित कर अपने दोनो पुत्रों क्रमशः माणकचन्द व भरत कुमार को अपना वसीयति उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 को विवादित आराजी में विधितः कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वसीयत जांच कार्यवाही में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 ने उपस्थित होकर बयान दिये और विचारण में भाग लिया। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की वसीयति सम्पति होने से प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का विवादित सम्पति में कोई लोकस स्टेण्डाई एवं वादाधिकार नहीं होने से प्रतिदावा विधितः संधारणीय न होने से निरस्तनीय है। अतः प्रतिदावा प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 सव्यय निरस्त फरमाया जाकर वादी का वाद मय अनुतोष डिक्री फरमावे।

वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 त 14 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निम्नानुसार राजीनामा पेश किया–

1. यह कि हम पक्षकारान प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी क्रम 1 सगे बहिन भाई है।
2. विवादित आराजीयात में मृतक पिता बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल के फौती नामांतरण संख्या 441 दिनांक 20/05/2006 से उक्त आराजीयात में हम प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गया है।
3. हम प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजीयात हमारे पिता बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल की स्वअर्जित आराजियात है। जिनका हमारे पिता ने अपने जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 दोनों पुत्रों को वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर वसीयतनामा दिनांक 19/01/2003 को निष्पादित करवा दिया था। उक्त वसीयतनामे से हमारे दोनों भाई वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 वसीयती उत्तराधिकारी होने के कारण फौती नामांतरण संख्या 441 दिनांक 20/05/2006 से विवादित आराजियात में दर्ज हुये हमारे नाम को दाखिल खारिज करवाकर हमारे पिता द्वारा की गई वसीयत को मान्य करार देकर और विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को एकमात्र खातेदार स्वीकार कर वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाना चाहते है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाकर राजीनामा अनुसार वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण कर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में डिक्री जारी फरमावें।

उपस्थित उभयपक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया तथा समस्त पक्षकारान द्वारा सुन समझकर हस्ताक्षर करने पर राजीनामा नियमानुसार तस्दीक किया जाकर पत्रावली में संलग्न किया गया।

वकील प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत राजीनामा के समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ शपथ पत्र वास्ते बयान पदमा पत्नि भवानीशंकर पुत्री बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी मं0 नं0 2–ई–9 तलवंडी कोटा जिला कोटा, रतना पत्नि अशोक कुमार गुप्ता पुत्री

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी c/o नेनूलाल नानक राम किराने की दुकान सदर बाजार गुना केन्ट (मध्यप्रदेश) एवं मंजुला उर्फ लक्ष्मी पत्नि उमाशंकर पुत्री बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल जाति महाजन निवासी मं0 नं0 5–ए–16 बसन्त विहार महावीर नगर विस्तार योजना कोटा पेश किये।

पत्रावली में प्रस्तुत छायाप्रति माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बारां के प्र. स. 53/09 दावा संविदा की विशिष्ठ अनुपालना बउनवान उषा कंवर वगै0 बनाम माणकचंद वगै0 में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दिनांक 06.04.17 को निर्णय/डिक्री पारित किया गया। जिसमें हस्तगत प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादीगण पक्षकार थे। साथ ही वादी की और से पत्रावली में प्रस्तुत छायाप्रति वसीयतनामा बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल दिनांक 19.01.03 से भी राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

हमनें प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रस्तुत शपथपत्रों प्रति कम 2 ता 4 पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना तथा राजीनामा, शपथपत्रों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वाद वादी स्वीकार योग्य तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी कम 2 ता 4 खारिज योग्य पाया।

अतः राजीनामा, शपथपत्र प्रतिवादी कम 2 ता 4 एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार काउंटर क्लेम प्रतिवादी कम 2 ता 4 खारिज किया जाता है तथा वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि ग्राम तुलसां के खाता संख्या 203 की ख0 नं0 351/1285 रकबा 0.11 है0, 401 रकबा 0.54 है0, 406 रकबा 3.89 है0 किता 3 रकबा 4.54 है0 में से उषाकुंवर व अनीता कुंवर को किये गये बेचान पश्चात शेष रही आराजी तथा खाता सं. 204 की ख0 नं0 164 रकबा 0.56 है0, 714 रकबा 0.51 है0, 836 रकबा 0.04 है0 किता 3 रकबा 1.11 है0 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner